।। कार्यालय– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 882 /3क(2)/नियुक्ति/10 प्रति./2018–19/दिनांक 09/01/19

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनरथ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–08/उ.अ.से.च.आ./2017/दिनांक 03.01.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक/1636/दिनांक 25.10.2018 द्वारा **10 प्रतिशत विभगीय लिखित परीक्षा** के अन्तर्गत प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थिनी को स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900–142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) में सहायक अध्यापक एल.टी. **(अंग्रेजी)** के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एव दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। **औपबन्धिक श्रेणी के अभ्यर्थियों का औपबन्धन तभी समाप्त किया जायेगा जब उनके प्रमाण–पत्रों का सत्यापन हो जाय। यद्यपि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण–पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का होगा।**

विषयः अंग्रेजी (शाखाः–महिला)

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का नाम एवं पता	जाति	उप श्रेणी	जन्म तिथि	गृह जनपद	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	उपमा रानी पुत्री श्री रमेश चन्द शर्मा, मिस्सरवाला कलां, पोस्ट–डोईवाला, देहरादून। (पिनकोड–248140)	सामान्य	महिला	10-09-74	देहरादून	56.5	रा.प्रा.वि. सिल्लाचौकी, देहरादून	रा.क.उ.मा.वि. ऊखीमठ (ऊखीमठ) रूद्रप्रयाग	स्नातक/बी.एड. के सत्यापन/सही पाये जाने तक औपबन्धिक श्रेणी में रखा गया है

उक्त नियुक्तियां मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः–1582/2018 हरीश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–4009/2018 रघुवन्त सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः–1961/2018 अमित कण्डवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः–2483/2018 पुष्पा कार्की में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9.1.19

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ0सं0/सेवा.अराज./ 13671-80 /3क(2)/नियुक्ति/10 प्रति./2018–19/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

Scanned by CamScanner

10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षिका का विवरण फोटो सहित ई–पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली–2014 में अंग्रेजी विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेब साईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त न हो तो अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों/शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डॉक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम)..पदनाम..विद्यालय का नाम........................ ....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण–पत्रों की भलीभॉति जॉच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती /कु0.. ....पद...विषय.....................................को दिनांक ....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह0संस्थाध्यक्ष
नाम–
पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो,मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र,स्थायी निवास प्रमाण–पत्र,जाति प्रमाण–पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण–पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण–पत्र, अन्तिम संस्था जहॉ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण–पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि '' मेरे विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है और न हीं मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है'', का प्रमाण–पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। यदि विद्यालय में मानकानुसार **Rationalization** से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

नोट– किसी भी अभ्यर्थिनी के शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण–करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

13. कार्यालय प्रति।

9.1.19
(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध–पत्र

मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. ....सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम..एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूगां /करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह0
नाम–
पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0एवं सील संस्थाध्यक्ष

Scanned by CamScanner